न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 143 / 2015

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 बीरबल पुत्र घड़सीराम उम्र 36 वर्ष जाति मेघवंशी निवासी मालसर तहसील व जिला झुंझुनू।
2 नरेन्द्र कुमार महला पुत्र अर्जुन सिंह उम्र 35 वर्ष जाति जाट निवासी गुमाना का बास तन छउ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 मूलचन्द पुत्र लिखमाराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी दुडिया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 मूलसिंह पुत्र फूलाराम उम्र 41 वर्ष जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
5 नेमीचन्द पु. चुन्नाराम उम्र 42 वर्ष जाति जाट निवासी मालसर तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सरदाराराम पुत्र कालूराम जाति जाट।
2 गंगाधर पुत्र कालूराम जाति जाट।
3 जगदीश पुत्र कालूराम जाति जाट।
4 भोपाल सिंह पुत्र कालूराम जाति जाट।
5 नन्दलाल पु. कालूराम जाति जाट।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6 नाराणी पत्नी रामेश्वर जाति मेघवाल।

7 नथमल पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल।

8 राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 19.01.2015 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी
सरदाराराम वगैरह बनाम नाराणी वगैरह
मु.नं. 346/2013 प्रर्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. श्री योगेन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–30.08.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 346/2013 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1,2,3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम रेस्पोडेंट संख्या 4 से 8 के विरूद्व ग्राम दुडिया के खसरा नम्बर 1231/30 में से दक्षिणी सीमा के सहारे चालु रास्ते को चौडा करते हुये रास्ता का अनुतोष चाहा विचारण न्यायालय ने एक पक्षीय बहस सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आवेदन धारा 5 मियाद अधिनियम धारा 96 सी.पी.सी. के साथ यह अपील प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया है कि विवादित भूमि विचारण न्यायालय ने भूमि खसरा नम्बर 1239/30 के सन्दर्भ में विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है खसरा नम्बर 1239/30 अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नही किया न ही अपीलांट को विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित किया गया न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। केवल मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट पर बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट का आवेदन धारा 5 एवं धारा 96 सी0पी.सी. स्वीकार कर अपील स्वीकार की जाये तथा विचारण न्यायालय का निर्णय अपासत कर प्रकरण विचारण न्यायायल को प्रतिप्रेषित किया जाये। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने इस हेतु कोई ऐतराज जाहिर नही किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि

विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय खसरा नम्बर 1239/30 बाबत पारित किया गया है यह भी स्पष्ट है कि इस खसरा नम्बर का रिकार्डेड खातेदार अपीलांट है जिसे न तो विचारण न्यायालय में पक्षकार बनाया गया है न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया है ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है।

अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय का इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर विचाराधीन प्रकरण में पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात आगामी 60 दिवस में प्रकरण का विधि अनुसार अन्तिम निस्तारण करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.09.2018 को पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/8/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर